न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 117/2015 तारीख रजू:—23.11.2015

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

मनोहरी पुत्र धनियॉ जाति जाटव निवासी बंध का नंगला तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— सायलान

बनाम

1.	चन्द्रभान पुत्र हरद्वारी	सभी जातियान जाटव
2.	रूपसिंह पुत्र जगन	
3.	हुकमसिंह पुत्र जगन	
4.	गुरजी पुत्र जगन	निवासी बंध का नंगला
5.	धीरसिंह पुत्र जगन	
6.	सन्ता — पुत्रिया जगन	
7.	राजेश	
8.	मीना	तहसील हिण्डौन जिला करौली
9.	मु. लीलावती बेबा जगन	
10.	प्रेमसिंह — पिसरान हेतराम	
11.	रामवीर	
12.	तेजबाई बेबा हेतराम	

13. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन (लैण्ड होल्डर) ———————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट सायल

निर्णय दिनांक :— 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज

किया है कि सायल ने इस अदालत में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवान का वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं0 989 रकबा 11 ऐयर, 990 रकबा 16 ऐयर, 991 रकबा 16 ऐयर, 992 रकबा 33 ऐयर, 993 रकबा 19 ऐयर, 994 रकबा 19 ऐयर, 995 रकबा 21 ऐयर, 996 रकबा 31 ऐयर, 997 रकबा 30 ऐयर, 1003 रकबा 9 ऐयर, 1004 रकबा 7 ऐयर, 1005 रकबा 14 ऐयर, 1006 रकबा 16 ऐयर कुल किता 13 कुल रकबा 2.42 है0 वाके नवसृजित गांव बंध का नंगला(हुक्मीखेडा) तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजीयात का साबिक खसरा नं0 169 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 654 रकबा 1बीघा 13 विस्वा, 655 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 656 रकबा 2 बिस्वा, 657 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसकी खातेदारी सायल व दावे के प्रतिवादी सं0 13 लगा0 29 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं0 998 रकबा 8 ऐयर, 999 रकबा 8 ऐयर, 1001 रकबा 1 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 17 ऐयर वाके ग्राम बंध का नंगला (हुक्मीखेडा) तहसील हिण्डौन में स्थित हैं साबिक खसरा नं0 168 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा, 170 रकबा 13 विस्बा वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि सायलान व गैरसायलान सं0 1 लगा 12 की भूमि आस पास लगवा भूमि है जो मौके पर बजमान बुजुर्गान से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर फसल दर फसल काश्त करते चले आ रहे हैं और वही क्रम आज तक बदस्तूर चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि सायल व दावे प्रतिवादी सं0 13 लगा0 29 का साबिक खसरा नं0 169, 654, 655, 656, 657 एक जगह एकचक भूमि थी तथा गैरसायल सं0 1 लगा 12 का साबिक खसरा नं0 168, 170 की भूमि सायल व दावे के प्रतिवादी सं0 13 लगा 29 के लगवा

थी। दौराने सैटिलमेन्ट कर्मचारीयों ने खसरा नं0 168 के नवीन खसरा नं0 987 रकबा 31 ऐयर 998 रकबा 8 ऐयर 999 रकबा 8 ऐयर 1000 रकबा 22 ऐयर बताये तथा साबिक खसरा नं0 170 का नीवन खसरा नं0 1001 रकबा 1 ऐयर तथा कुछ भाग खसरा नं0 1002 रकबा 33 ऐयर में समायोजित किया गया जिनका कुल रकबा 1.03 है0 होता है जो लगभग 20 ऐयर अधिक है तथा ठीक उसी प्रकार सायला व गैरसायल दावे के प्रतिवादी सं0 13 लगा0 29 का साबिक खसरा नं0 169 का नवीन खसरा नं0 1003 रकबा 9 ऐयर, 1004 रकबा 7 ऐयर, 1005 रकबा 14 ऐयर, 1006 रकबा 16ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 46 ऐयर कायम किया गया जो पुराने रकबे से 9 ऐयर कम है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि दौराने सेटिलमेन्ट कर्मचारीयों ने पूर्व ट्रेस के मुताबिक वर्तमान ट्रेस सीट में तरमीम नहीं किया बल्कि सायल व दावे प्रतिवादी सं0 13 ता 29 के साबिक खसरा नं0 169 में गैरसायल सं0 1 ता 12 के साबिक खसरा नं0 168 के नवीन खसरा नं0 998 व 999 की नवीन ट्रेस में सायल के रकबा को कम कर तरमीम की गई जो कानूनन गलत व अवैध ट्रेस तरमीम है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं0 1 लगा 12 का साबिक खसरा नं0 168 व 170 सायल व दावे के प्रतिवादी सं0 13 लगा0 29 का भूमि साबिक खसरा नं0 169 के लगवा थे का रकबा खसरा नं0 998 व 999 के रकबा को घटाने पर भी 5 ऐयर अधिक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 09.11.2015 को समय सुबह करीब 8–9 बजे का है कि सायल अपने हिस्सा कब्जा की भूमि की देखभाल कर रहा था तो अचानक गैरसायलान सं0 1 लगा 12 अपने हाथों में लाठी, डण्डा लेकर सायल के हिस्सा की भूमि में आ गये और कहा की तुमने हमारी भूमि पर कब्जा कर रखा है हम उसे लेकर रहेंगे। तब सायल ने हाथ जोडकर कहा कि मैंने आपके खेत पर कब्जा नहीं किया है तो गैरसायल लाल ताते हो गये। सायल पर झगडा करने पर आमादा हो गये हाय हल्ला सुनकर आस पडोस के खेतों वाले आ गये जिन्होंने काफी समझाया परन्तु

अजखुदमानने को तैयार नहीं है इसके बाद दावे के प्रतिवादी सं0 13 लगा 29 नें भी समझाये और कहा कि मौके पर हमारे खेत सही हमने तुम्हारे खेत को नहीं दबाया है। तो गैरसायलान नं0 1 ता 12 नें ऐलानिया धमकी दी की हम सायल के खेतों की फसल नष्ट कर देंगे तथा खातेदारी हमारे नाम है उसे दीगर व्यक्तियों को रहन वय करके ही रहेंगे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते अगर गैरसायलान सं0 1 लगा 12 अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो सायल के हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। तथा सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार होना संभव नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायल अपने उक्त गैरकानूनी मनसूबे में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार इन टर्मस् ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हें क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि यद्यपि इस तरह प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान 1 ता 12 को जरिये अस्थायी निषेद्याज्ञा पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेद्याज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थाई निषेद्याज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गेरसायलान सायल के कब्जा काश्त व खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं0 998,999,1003,1004 वाके ग्राम बंध का नंगला(हुक्मीखेडा) तहसील हिण्डौन में मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे उसे शांति पूर्वक काश्त करने देंवे। और नाहि किसी अन्य से बेदखल करावें तथा आराजीयात को रहनबय नहीं करें। ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे सायल के हकूकों पर विपरित प्रभाव पडें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.09.2016 को गैरसायल सं. 1 ता 12 की ओर से श्री प्यारेलाल पोहिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 03.02.2026 को गैरसायलान व उनके अधिवक्ता बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069 –72, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस साबिक व हाल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 पेश किये है।

वकील सायल उपस्थित। वकील सायल की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायला ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायल की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069 –72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 989 रकबा 0.11 है0, 990 रकबा 0.16 है0, 991 रकबा 0.16 है0, 992 रकबा 0.33 है0, 993 रकबा 0.19 है0, 994 रकबा 0.19 है0, 995 रकबा 0.21 है0, 996 रकबा 0.31 है0, 997 रकबा 0.30 है0, 1003 रकबा 0.09 है0, 1004 रकबा 0.07 है0, 1005 रकबा 0.14 है0, 1006 रकबा 0.16 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.42 है0 वाके ग्राम बंध का नंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुखनन्दन सोहनलाल पि0 हरचन्दी हि0 1/8, गोपाल पुत्र गोपी हि0 1/8 जाति कोली निवासी चीखरू तहसील बयाना, चम्पोली रामफूल नत्थी पि0 नन्दू हि0 3/16, बाबूलाल पुत्र मंगला हि0 1/16, कल्याण पुत्र सुखनन्दन हि0 1/20, सुबुद्धी रमेश मुरारी महेश हरिसिंह पि0 प्यारे शिवदेई गुड्डी मोहरी पुत्रियान प्यारे सरूपो बेबा प्यारे हि0ब0 हि0 1/4 जाति जाटव सा0देह, किरोडी पुत्र पन्ना जाति कोली

हि0 1/10 निवासी डांडागांव तहसील करौली मनोहरी पुत्र धनिया जाति जाटव निवी बंध का नंगला हि0 1/10 खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069 –72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 998 रकबा 0.08 है0, 999 रकबा 0.08 है0, 1001 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बंध का नंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी जगन हेतराम पि0 विरजा हिस्सा बराबर हि0 2/3, चन्द्रभान पुत्र हरद्वारी हि0 1/3 जाति चमार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामातकरण संख्या 160 नि0दिं0 12.02.2013 – न्याया.आदेश से खाते में दर्ज जाति चमार के बजाय जाति जाटव करना स्वीकार हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 194 नि0दिं0 20.11.2014 –विरासत से जगन पुत्र विरजा के बजाय रूपसिंह हुकमसिंह गुरजी धीरसिंह पि0 जगन सन्ता राजेश मीना पुत्रियॉ जगन लीलावती बेबा जगन के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069 –72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम बंध का नंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी केशन्ती बेबा हरीद्वारी हि0 1/3, सुआलाल पुत्र नथुआ हि0 1/3, रामकमली पत्नि सुआलाल हि0 1/3 जाति जाटव सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069 –72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 987 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम बंध का नंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी मु0 केशन्ती बेबा हरीद्वारी हि0 1/3, सुआलाल पुत्र नथुआ हि0 1/3, सम्पो पत्नि जौहरी हि0 1/6, रामकमली पत्नि सुआलाल हि0 1/6 जाति चमार सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर से कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर निम्नानुसार है :–

हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	साबिक खसरा नं0	रकबा
989	0.11	657 मिन	4 बीघा 4 बिस्वा
990	0.16	657 मिन	
991	0.16	657 मिन	4 बीघा 4 बिस्वा
996	0.31	657 मिन	
997	0.30	657 मिन	
992	0.33	657 मिन 655	 1 बीघा 10 बिस्वा
993	0.19	655 मिन 656	 2 बिस्वा
994	0.19	654 मिन	1 बीघा 13 बिस्वा
995	0.21	654 मिन	
1003	0.09	169 मिन	2 बीघा 4 बिस्वा
1004	0.07	169 मिन	
1005	0.14	169 मिन	
1006	0.16	169 मिन	
998	0.08	168 मिन	2 बीघा 13 बिस्वा
999	0.08	168 मिन	
1000	0.22	168 मिन	
1001	0.01	170	15 बिस्वा
1002	0.33	170 मिन 168	 2 बीघा 13 बिस्वा

साबिक खसरा नम्बर 169 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का हाल रकबा 0.46 है0 कायम किया गया है जबकि रकबा 0.55 है0 कायम किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रकबा 0.09 है0 कम कायम किया गया है।

साबिक खसरा नम्बर 654, 655, 656, 657 कुल रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा के मुकावले हाल रकबा 1.96 है0 कायम किया गया है। जबकि रकबा 1. 86 है0 कायम किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रकबा 0.10 है0 अधिक कायम किया गया है।

साबिक खसरा नम्बर 168 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा , 170 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा का हाल रकबा 0.72 है0 कायम किया गया

है जबकि रकबा 0.85 है0 कायम किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रकबा 0.13 है0 कम कायम किया गया है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 168 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 170 रकबा 15 बिस्वा, 171 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 213 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी जगन हेतराम पि0 विरजा हि0ब0हि0 2/3, चन्द्रभान पुत्र हरद्वारी हि0 1/3 नावालिग व सरपरस्त माता खुद बेबा हरिद्वारी जाति चमार निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 169 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 654 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 655 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 656 रकबा 2 बिस्वा, 657 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी हरचन्दी व वुद्धी पि0 खुट्टी हि0ब0हि0 1/4, चम्पोली रामफूल नत्थी पि0 नंदू हि0 3/16, बाबूलाल पुत्र मंगला हि0 1/16, लटूरिया व दौजी व परभाती व सतानंद व रामलाल पि0 हरीराम बहिस्सा बराबर हि0 1/4, प्यारे पुत्र गिरवर उर्फ धुन्दा हि0 1/4 जाति चमार निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 998 रकबा 0.08 है0, 999 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम बंध का नंगला तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.09 है0, 1004 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम बंध का नंगला तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ सायल एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। सायल सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा की गई गलती की दुरूस्ती कराना चाहता है। इस प्रकार सायल के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष में साबित है। सायल का दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेद्याज्ञा का है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। इसलिए दावे के निस्तारण तक

रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 998 रकबा 0.08 है0, 999 रकबा 0.08 है0, 1003 रकबा 0.09 है0, 1004 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम बंध का नंगला तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 9/4/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली